

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत लखस्यार -लुधेरा- क्यारी -कच्चा ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तनल कि0मी0 11 से 14 एवं विस्तार 15-18।

प्रतिवेदन

शासन सख्यां 14/111/-2/04-55 बजट /04 दि0 30.03.2005 के तहत लखस्यार लुधेरा क्यारी कच्चा ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कि0मी0 11 से 14 एवं विस्तार किमी0 15 सें 18 सवीकृति प्राप्त हुई हैं। इस मार्ग का किमी0 11 से 14 ग्राम उभौव तक ह0वा0 मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन किया जा चुका है। वर्तमान में सर्वेक्षण के आधार पर मार्ग का विस्तार कि0मी 15 सें 18(4.00किमी0) ग्राम क्यारी तक विस्तार किया जाना है।

उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृत ल0 4.00 कि0 मी है, इसका संयुक्त निरीक्षण भी 4.00 कि0 मी0 लम्बाई में किया गया है।

अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

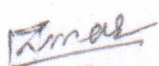
उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि 1.383 है0, सिविल सोयम भूमि 1.417 है0 एवं वन पंचायत भूमि 0.000 है0, प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, एवं आरक्षित वनभूमि 0.000 है, जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है। तथा यह भी उल्लेखनीय है कि परियोजना हेतु वृक्षों की गणना 7 मीटर से की गई है जो की वास्तविक रूप से पातन किये जाने है। मोटर मार्ग का निर्माण 6 मीटर से होना प्रस्तावित है। विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

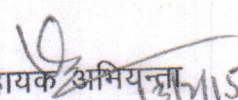

A.E.

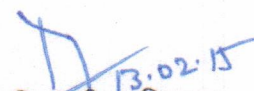
संरेखण नं0 1 :- के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत ग्राम लखस्यार -लुधेरा क्यारी कचटा मार्ग का प्रारम्भ बिन्दु पूर्व में निर्मित मोटर मार्ग प्रस्तावित लखस्यार -लुधेरा क्यारी कचटा के कि0 मी0 14 से प्रारम्भ होता है। इस संरेखण में 3 हेयर पिन बैण्ड प्रस्तावित हैं। इस संरेखण में अधिकतर वन पंचायत भूमि के अतिरिक्त बीच- बीच में सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि आती है, इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष प्रभावित कम होते हैं तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांववासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

संरेखण नं0 2 :- यह मार्ग लखस्यार -लुधेरा क्यारी कचटा के कि0 मी0 2 से प्रारम्भ होता है। इस समरेखण में क्रम: 1+20+24+लेवल ग्रेड दिये गये हैं, इस समरेखण में 4 हेयर पिन बैण्ड एवं छोटा पुल प्रस्तावित है, तथा ल0 4.00 कि0मी0 है। इस समरेखण से स्थानीय जनता असहमत है, चूँकि समरेखण की लम्बाई अधिक है, इस समरेखण में वन भूमि, नाप भूमि, सिविल भूमि की भी अधिकता है जिस कारण भी स्थानीय जनता असहमत। अतः तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांववासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं0 2 को निरस्त कर संरेखण नं0 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं01 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 4.00 कि0मी0 लम्बाई में लो0नि0वि0 के मानकों के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई तथा ल0 2025.00 मी0 में आने वाली सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि 1.417 है0 लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0 खण्ड,
लो0नि0वि0,सहिया


सहायक अभियन्ता
अ0ख0 खण्ड,
लो0नि0वि0,सहिया


अधिशाली अभियन्ता
अ0ख0 खण्ड,
लो0नि0वि0,सहिया